संख्या-72/2022/588/12-3099/88/2021/100(10)2014/टी0सी0-7

प्रेषक,

राजेन्द्र सिंह,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक

उ0प्र0, कृषि भवन,

लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 लखनऊःदिनांकः 21 सितम्बर, 2022

विषयः- प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पी0एम0-कुसुम) योजना की वित्तीय वर्ष 2022-23 की कार्ययोजना के बिन्दु संख्या-5 एवं 7 में संशोधन की प्रशासकीय स्वीकृति के संबध में।

महोदय,

उपयुर्क्त विषयक आपके पत्रांक-सोलर/347/पी0एम0कुसुम/कार्य0यो0/2022-23, दिनांक 02 सितम्बर, 2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पी0एम0-कुसुम) योजना की वित्तीय वर्ष 2022-23 की कार्ययोजना विषयक निर्गत शासनादेश संख्या-34/2022/174/12-3099/88/2021/100(10) 2014/टी0सी0-VI, दिनांक 28-04-2022 के बिन्दु संख्या-5 एवं 7 में निम्नवत् संशोधन की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती हैः-

कार्ययोजना बिन्दु संख्या-5

भौतिक लक्ष्य एवं अनुदान की संशोधित धनराशि का विवरणः-

वित्तीय वर्ष 2020-21 के विभिन्न क्षमता के 15000 सोलर पम्पों, जिनकी स्थापना वित्तीय वर्ष 2022-23 में की जा रही है तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 के विभिन्न क्षमता के 9000 सोलर पम्पों तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 के विभिन्न क्षमता के 6000 अदद सोलर पम्पों, जिनकी स्थापना भी वर्ष 2022-23 में करायी जानी है। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2022-23 में विभिन्न क्षमता के कुल 30000 अद्द सोलर पम्पों के भौतिक लक्ष्य एवं अनुदान का विवरण निम्नवत हैः-

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	सोलर पम्प की क्षमता	सोलर पम्प का प्रकार	पूर्व स्वीकृति भौतिक लक्ष्य (संख्या में)	वर्ष 2021-22 के स्वीकृति भौतिक लक्ष्य (संख्या में)	वर्ष 2022-23 के स्वीकृति भौतिक लक्ष्य (संख्या में)	कुल भौतिक लक्ष्य (संख्या में)	केन्द्रांश	राज्यांश	योग

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1	1800 वाट 2 एच0पी0	डी0सी0 सरफेस पम्प	800	400	300	1500	650.37	650.37	1300.74
		ए0सी0 सरफेस पम्प	800	400	300	1500	650.37	650.37	1300.74
		डी0सी0 सबमर्सिबल पम्प	1500	600	200	2300	1015.20	1015.20	2030.40
		ए0सी0 सबमर्सिबल पम्प	1500	600	200	2300	1020.69	1020.69	2041.38
2	3000 वाट 3 एच0पी0	डी0सी0 सबमर्सिबल पम्प	3500	2100	1500	7100	4143.21	4143.21	8286.42
		ए0सी0 सबमर्सिबल पम्प	3100	2000	1500	6600	3830.51	3830.51	7661.02
3	4800 वाट 5 एच0पी0	ए0सी0 सबमर्सिबल पम्प	3000	2000	1500	6500	5326.17	5326.17	10652.34
4	6750 वाट 7.5 एच0पी0	ए0सी0 सबमर्सिबल पम्प	550	500	300	1350	1507.11	1507.11	3014.22
5	9000 वाट 10 एच0पी0	ए0सी0 सबमर्सिबल पम्प	250	400	200	850	1183.97	1183.97	2367.94
6	विविध व्यय		-	-	-	-	-	50.00	50.00
योग			**15000**	**9000**	**6000**	**30000**	**19327.60**	**19377.60**	**38705.20**

<u>कार्ययोजना बिन्दु संख्या-7</u>

<u>वर्ष 2022-23 के संशोधित वित्तीय लक्ष्यः-</u>

वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 के 2 एच0पी0, 3 एच0पी0, 5 एच0पी0, 7.5 एच0पी0 एवं 10 एच0पी0 के कुल 30000 अदद सोलर पम्पों की स्थापना वर्ष 2022-23 में करायी जायेगी, जिसके लिए कुल 60 प्रतिशत (30 प्रतिशत केन्द्रांश+30 प्रतिशत राज्यांश) अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा, जिसके लिए कुल राज्यांश रू.19377.60.92 लाख की आवश्यकता होगी।

2- आवंटन के समय सूखे से प्रभावित क्षेत्र में लक्ष्य अधिक रखे जाने के बिन्दु को ध्यान में रखा जाए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश दिनांक 28-04-2022 की शेष शर्ते यथावत् रहेगी। कृपया उपर्युक्तानुसार संशोधित कार्ययोजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
राजेन्द्र सिंह
विशेष सचिव

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
2- कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नवीन एवं नवीनीकरण एवं ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6- मुख्य स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
7- निदेशक, नवीन एंव नवीनीकरण एंव ऊर्जा मंत्रालय(एम0एन0आर0ई0), लोधी रोड, नई दिल्ली।
8- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
9- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10- निदेशक, नेडा, गोमतीनगर, लखनऊ।
11- वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, लखनऊ।
12- अपर कृषि निदेशक (तिलहन/दलहन), कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
13- समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक/उप कृषि निदशक, उत्तर प्रदेश।
14- सहायक निदेशक (समन्वय एवं कम्प्यूटर), कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को पोर्टल पर व्यवस्था करने हेतु।
15- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अमर चन्द्र
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।